राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
एवं
प्रगति विवरण 2014-15

पर्यावरण विभाग, जयपुर

1. पर्यावरण विभाग का कार्य एवं उद्देश्य –

पर्यावरण विभाग के कार्य निम्न प्रकार निर्धारित किए गये हैं –

(क) पर्यावरण और पारिस्थितिकी से सम्बन्धित मामले और निम्नलिखित से सम्बन्धित मामलों के लिए एक केन्द्रीय विभाग के रूप में कार्य करना।

- पारिस्थितिकी सन्तुलन का परिरक्षण।
- पर्यावरण सम्बन्धित मामलों पर अनुसंधान और अध्ययन।
- पर्यावरण से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सम्बन्धित क्रियाकलाप।
- प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से पर्यावरण चेतना जागृत करना।

(ख) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं राजस्थान जैव विविधता मंडल से सम्बन्धित समस्त मामलों का निवारण और नियंत्रण।

(ग) कार्मिक, सामान्य प्रशासन, वित्त और वन विभाग को सौंपे गए मामलों को छोड़कर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्त मामले।

2. संगठनात्मक रचना –

- पर्यावरण विभाग का गठन वर्ष 1983 में किया गया था।
- वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग के प्रमुख हैं।
- पर्यावरण विभाग में शासन सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता एवं उप निदेशक तथा अन्य अधिकारी हैं।

पर्यावरण विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार है :–

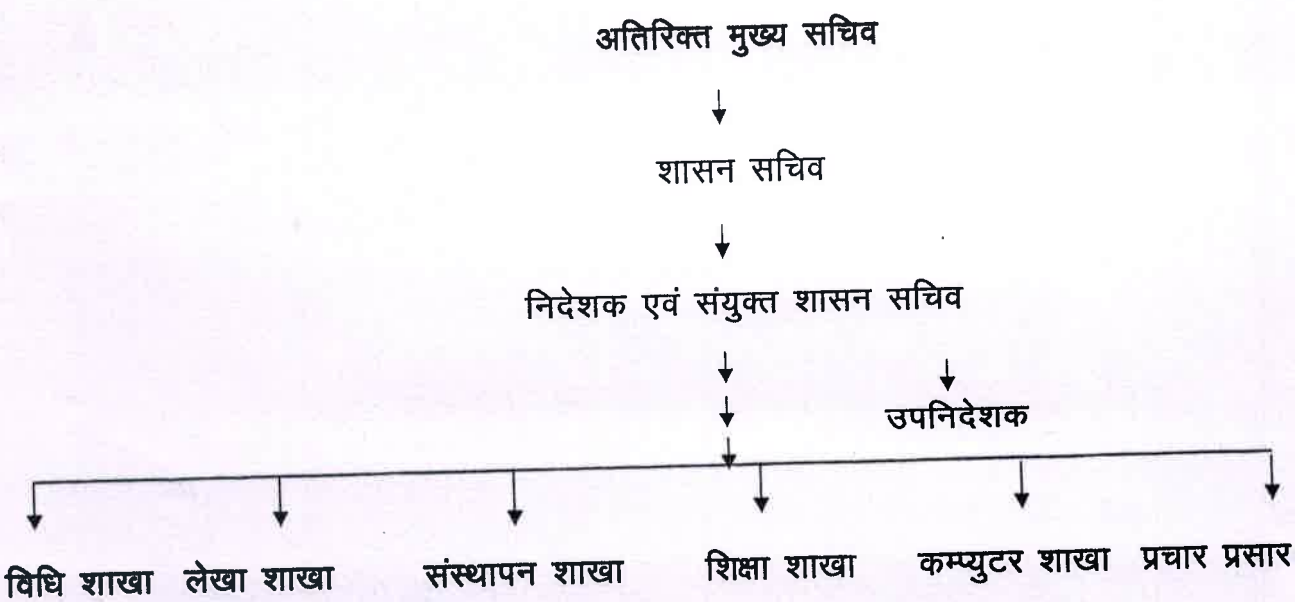

3. पर्यावरण विभाग द्वारा नीतिगत निर्णयों पर क्रियान्वयन की कार्यवाही निम्नानुसार की गई–

3.1 राज्य पर्यावरण नीति 2010 के क्रियान्वयन का नियमित प्रबोधन :

राज्य पर्यावरण नीति 2010 के कार्यकारी बिन्दुओ से सम्बन्धित क्रियान्विति रिपोर्ट विभिन्न विभागो से समय–समय पर मंगवाई जाकर इसका संकलन कर प्रबोधन किया जा रहा है।

3.2 **प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबन्ध :**

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 27.07.2010 जारी कर दिनांक 01 अगस्त 2010 से राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा राज्य को 'प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र' घोषित कर दिया गया है। वर्ष के दौरान अधिसूचना के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के लिए जिला कलेक्टरों के माध्यम से विशेष अभियान चलाये गये।

3.3 **संयुक्त उपचार संयंत्रों की स्थापना :**

राज्य में दो और संयुक्त उपचार संयंत्र पुनायता रोड, पाली एवं मंडिया रोड, पाली में स्थापित किये जा रहे है।

3.4 राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना व राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना हेतु बजट एवं परियोजना तैयार कराने व अन्य सम्बन्धित कार्यों हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य किया जा रहा है।

सांभर झील के संरक्षण संबंधी सभी पहलुओं पर विस्तृत योजना तैयार किये जाने हेतु विशेषज्ञ ऐजेंसी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI), नागपुर को रूपये 1,24,14,000/– की स्वीकृति प्रदान की गई है। संस्थान द्वारा अन्तरिम परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। संस्थान द्वारा अन्तिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मार्च 2015 तक प्रस्तुत की जावेगी।

3.5 राज्य में सौर, पवन ऊर्जा (सभी क्षमता के) एवं लघु पन बिजली परियोजनाओं (क्षमता 25 मेगा वाट से कम) का वर्गीकरण ग्रीन कैटेगरी में करने हेतु राजस्थान जल एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 में दिनांक

01.08.2014 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया तथा इस श्रेणी की परियोजनाओं के सम्मति प्रकिया का सरलीकरण कर आवेदन के लिए 15 दिवस अवधि में सम्मति पर निर्णय लिया गया है।

4. वर्ष 2014–15 की उपलब्धियां

प्रचार–प्रसार हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यः–

(अ) पर्यावरण विभाग में पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता के प्रचार–प्रसार हेतु निम्नानुसार बजट आवंटित था :–

आयोजना मद

3435– पारिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण
03– पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरूद्ध भवन
102– पर्यावरणीय योजना और समन्वय
01– पर्यावरण सुधार
11– विज्ञापन, विक्रय एवं प्रसार राशि रु. 40.00 लाख

.....

कुल राशि रु. 40.00 लाख

.....

उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत तीन अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों, पृथ्वी दिवसः 22 अप्रेल, विश्व पर्यावरण दिवसः 5 जून एवं ओजोन परत संरक्षण दिवसः 16 सितम्बर के अवसर पर विभिन्न समाचार पत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता संबंधी संदेश प्रकाशित कराये गये। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2014 को विभाग द्वारा जयपुर में "रन फॉर एनवायरमेंट" रैली का आयोजन किया गया। मकर संक्रान्ति के अवसर पर पंतग उडाने हेतु चाइनिज मांझे, धातु से निर्मित धागे, कांच एवं लोहे के पाउडर से

निर्मित मांझे का उपयोग न करने हेतु जनता में जागरूकता लाने के लिए समाचार पत्रों में दो दिवस लगातार संदेश दिया गया है।

5. पर्यावरण विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख दिवसों पर पर्यावरणीय कार्यक्रम जिला स्तरीय पर्यावरण समितियों के माध्यम से आयोजित कराए गए हैं :

पृथ्वी दिवस	**22 अप्रैल**
विश्व पर्यावरण दिवस	**5 जून**
ओजोन परत संरक्षण दिवस	**16 सितम्बर**

उक्त दिवसों के आयोजन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रत्येक दिवस के आयोजन हेतु 50–50 हजार रूपये की राशि जिला स्तरीय पर्यावरण समितियों को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान रखा गया।

6. राज्य स्तरीय राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार :

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर वर्ष 2012 से प्रतिवर्ष राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय अधिनियम/नियमों के क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को **"राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार"** प्रदान किया जाता है। उक्त पुरस्कार में राशि रु 5 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी–संगठन/संस्थान को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु, राशि रु 3 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को–पर्यावरणीय अधिनियम/नियमों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु एवं राशि रु 2 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी–व्यक्ति विशेष को जिसने पर्यावरण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। उक्त हेतु प्रत्येक वर्ष विज्ञप्ती माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी की जाकर 30 नवम्बर तक नामांकन के प्रस्ताव प्राप्त किये जाते है तत्पश्चात विशेषज्ञ समिति द्वारा उपयुक्त नामांकनो की छटनीं की जाती है व अन्ततः पर्यावरण

मंत्री महोदय की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ नामांकनो का संवर्गानुसार पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।

इस वर्ष राशि 5 लाख रूपये, रजत कमल ट्रॉफी एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र, संगठन संवर्ग में ग्राम पंचायत पीपलांत्री, जिला राजसमंद एवं राशि 2 लाख रूपयें, रजत कमल ट्रॉफी एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत संवर्ग में श्री हिम्मता राम भाम्बू, निवासी जिला नागौर को प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. नदियों/झीलों के लिए नीति निर्धारण एवं नियंत्रण हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठनः

विभिन्न वैधानिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों के चलते विगत कुछ वर्षो से राज्य की नदियों, झीलों एवं नमभूमि के पर्यावरण एवं जनहित में विकास कार्यो से सम्बन्धित योजनाओं/परियोजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के मूल उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप नदियों एवं झीलों से सम्बन्धित परियोजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने एवं नीति निर्धारणार्थ/नियत्रंण हेतु एकं उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है एवं दिसम्बर 2014 तक इस उच्च स्तरीय कमेटी की 7 बैठकें की जा चुकी है।

8. जिला पर्यावरण समितियां :

पर्यावरण विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समितियां गठित की गई है। जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2018 तक बढ़ाया गया है। जिला पर्यावरण समिति का सदस्य सचिव उप वन संरक्षक/मंडल वन अधिकारी होता है।

इन समितियों की त्रैमासिक बैठके आयोजित करने का प्रावधान है तथा इनके द्वारा पर्यावरण के प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। इन समितियों के माध्यम से प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितम्बर को पर्यावरण चेतना कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इसी क्रम में दिनांक 16.09.2014 को अन्तराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस सभी जिला मुख्यालयों एवं जयपुर में जन चेतना जागृत करने के उद्देश्य से समारोहपूर्वक मनाया गया।

9. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल :

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा जल की गुणवता को बनाये रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा 11 सितम्बर 1975 को किया गया था। वर्तमान में सभी पर्यावरण अधिनियमों/नियमों के लागू करने का कार्य राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किया जाता है। मंडल में अध्यक्ष पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं सदस्य सचिव के पद पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी कार्यरत है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का प्रशासनिक नियंत्रण पर्यावरण विभाग के अधीन है। मंडल का पुर्नगठन प्रत्येक तीन वर्ष बाद राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मंडल का पुर्नगठन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

10. राजस्थान राज्य जैव–विविधता बोर्ड :

पर्यावरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राजस्थान राज्य जैव–विविधता बोर्ड का गठन जैव–विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना प. 4 (8)1/2005/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 14.09.2010 द्वारा किया गया था। पुर्नगठन की प्रकिया राज्य सरकार के विचाराधीन है। यह बोर्ड राज्य की जैव विविधता के संरक्षण एवं जैव–विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के नियामक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। दिनांक 22.05.2014 को अन्तर्राष्ट्रिय जैव विविधता दिवस सभी जिला मुख्यालयों एवं जयपुर में समारोहपूर्वक मनाया गया। इसके अतिरिक्त चार जिला स्तरीय जैव विविधता कार्यशाला का आयोजन सीकर, प्रतापगढ, पाली और सिरोही जिला मुख्यालयों पर किया गया।

ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्धन समितियों का गठन जैव विविधता बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। जिसमें अब तक कुल 31 जैव विविधता समितियों का गठन बोर्ड द्वारा किया जा चुका है।

11. भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं/नियमों का क्रियान्वयनः

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं/नियमों आदि की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यवाही करवाई जाती है। इन अधिसूचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

1. जल (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974
2. वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
4. परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम,1989
5. जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम,1998
6. नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000
7. ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण)नियम 2000
8. फ्लाई ऐश अधिसूचना 1999
9. अरावली नोटिफिकेशन 1992

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 1999 को अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को अलवर जिले में पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया था। पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति को परीक्षण एवं अभिशंसा हेतु प्रस्तुत किये जाते है। तद्परान्त पर्यावरण मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाती है।

12. आबू पर्वत को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने बाबत अधिसूचनाः

आबू पर्वत को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने बाबत भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 25 जून 2009 द्वारा जारी की जा चुकी है।

भारत सरकार के आफिस मेमोरेन्डम संख्या प.20–1/2005/आईए–।।। दिनांक 24.01.2012 से माउन्ट आबू ईको सेन्सिटिव जोन में विभिन्न गतिविधियों के प्रबोधन हेतु प्रबोधन समिति का पुर्नगठन दो वर्ष के लिए किया गया था। समिति के पुर्नगठन की प्रकिया राज्य सरकार के विचाराधीन है।

आबू पर्वत संवदेनशील क्षेत्र के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 25.06.2009 के प्रावधानानुसार आबू पर्वत संवेदनशील क्षेत्र का जोनल मास्टर प्लान तैयार कराया जाकर भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

13. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान :

भारत सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना दिनांक 30 जुलाई, 2008 के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण ई. आई.ए. नोटिफिकेशन 14 सितम्बर 2006 में वर्णित ग्रुप–बी की परियोजनाओं को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने का कार्य करती है। यह एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986(1986 का 29) की धारा की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का आ.1533(अ) दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान का पुर्नगठन 24 दिसम्बर, 2014 को किया गया जिसका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित 3 सदस्य है। श्रीमती अलका काला भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, श्री संकठा प्रसाद भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) सदस्य एवं पर्यावरण विभाग के शासन सचिव, सदस्य सचिव है। प्राधिकरण की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा एक 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष डा. एस.एस. राठौड सहबद्ध आचार्य, खनन

इंजीनियरी विभाग, टेक्नोलोजी एण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान एवं सदस्य सचिव, वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, पर्यावरण विभाग है। प्राधिकरण से प्राप्त सूचना अनुसार प्राधिकरण को दिसम्बर 2014 तक कुल 1081 आवेदन पर्यावरणीय अनुमति हेतु प्राप्त हुए जिनमें से भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त 126 आवेदन भी शामिल हैं। इनमें से 464 प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृतियां जारी की गई हैं, 2 प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गई है, 30 आवेदन भारत सरकार सें सम्बन्धित होने के कारण उन्हें लौटाये जा चुके हैं, 122 प्रकरण बंद किए जा चुके हैं एवं 277 प्रकरणों में TOR जारी की जा चुकी है, जिन पर अग्रिम कार्यवाही आवेदन के स्तर पर की जानी है शेष 186 प्रकरणों में कार्यवाही प्रगति पर है।

14. पर्यावरण विभाग की वेबसाईट और एम.आई.एस सॉफ्टवेयरः

- सम्मति व ऑथोराजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा कराने व ट्रेकिंग की सुविधा चालू करने हेतु राज्य मण्डल द्वारा अपने एमं.आई.एस. सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।
- राज्य मण्डल के एम.आई.एस. सिस्टम को अपग्रेड तथा सम्मति व ऑथाराजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा कराने व ट्रेंकिंग की सुविधा चालू करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं राजाकोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड द्वारा दिनांक 16.09.2014 को एक MoU पर हस्ताक्षर किये गये। इस सुविधा में रूपये 2.095 करोड की लागत तथा 8 महिने का समय लगने की संभावना है। सम्भावित लागत में एफ.एम.एस. (Facility Management Service) की लागत को भी जोडा गया है तथा यह सर्विस कार्य के पूर्ण होने के तीन वर्ष तक जारी रहेगी। सम्मति व ऑथोराजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा (ई–मित्र कियोस्क द्वारा) कराने की सुविधा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के एम.आई.एस. द्वारा दिनांक 19.11.2014 से प्रारंभ की जा चुकी है।
- पर्यावरण विभाग की वेबसाइट पर दिसम्बर 2014 तक जारी की गई विभिन्न पर्यावरण क्लीयरेंस को पी.डी.एफ. फाईल के रूप में लोड कर दिया गया है।

- विभाग की वेबसाईट को जन साधारण के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में नया रूप दिया गया है।
- विभाग को प्राप्त होने वाले पर्यावरण क्लीयरेंस के विभिन्न प्रस्तावों को लोड करने की कार्यवाही लगातार जारी है।
- पर्यावरण विभाग की वेबसाईट पर जन साधारण के लिये विभाग से संबंधित अधिकांश सूचनाओं, एक्ट, नियम, नोटिफिकेशन, सरक्यूलर आदि उपलब्ध करा दिये गये हैं।

15. बजट वर्ष 2014-2015:

पर्यावरण विभाग का वर्ष 2014-2015 के लिए आयोजना भिन्न मद में राशि रू 101.16 लाख तथा आयोजना मद में राशि रु. 6562.04 लाख का प्रावधान रखा गया है।

वास्तविक व्यय

आयोजना व्यय (रुपये लाखों में)

(2010–2011 से 2014–2015 तक)

क्र. सं.	मदवार विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 दिसम्बर 2014 तक
1.	वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते	8.43	10.90	6.60	10.95	7.42
2.	पर्यावरण शिक्षा एवं सुधार	2.00	0.00	0.00	61.80	0.00
3.	विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार व्यय	39.49	19.67	39.80	38.89	22.90
4.	सी.ई.टी.पी. को अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	राष्ट्रीय नदी कार्य योजना	857.14	857.14	0.00	0.00	0.00
6.	राष्ट्रीय झील संरक्षण	413.15	673.73	674.22	18.38	10.37

	योजना					
7.	राजस्थान जैव–विविधता बोर्ड	5.00	44.62	200.94	222.58	203.46
8.	राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार	8.74	0.00	7.63	7.62	0.06
9.	प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन	3.00	3.37	3.21	1.77	1.31
10	बायो मेडिकल–वेस्ट प्रबंधन	0.00	0.00	193.03	55.14	0.00
	योग	**1336.95**	**1609.43**	**1125.43**	**417.13**	**245.52**

आयोजना भिन्न व्यय (रुपये लाखों में)

(2010–2011 से 2014–2015 तक)

क्र सं.	मदवार विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 दिसम्बर 2014 तक
1.	प्रशासनिक व्यय	65.30	60.68	75.13	92.61	70.24
	योग	**65.30**	**60.68**	**75.13**	**92.61**	**70.24**

पर्यावरण निदेशालय में स्वीकृत पदो का विवरण (31.12.14 को)

क्रम. सं.	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	पद पर कार्यरत	रिक्त पद
1.	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव	1	1	0
2.	वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता	1	1	0
3.	उप निदेशक (पर्या)	1	0	1
4.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	0	1
5.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
6.	प्रोग्रामर	1	1	0
7.	लेखाकार	1	1'	0
8.	कनिष्ठ लेखाकार	1	0	1
9.	कार्यालय सहायक	1	0	1
10.	निजी सहायक	2	2	0
11.	वरिष्ठ लिपिक	1	1	0
12.	सूचना सहायक	1	0	1
13.	कनिष्ठ लिपिक	4	2	2
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	3	0
योग		20	13	7

'लेखाकार के स्वीकृत पद के विरुद्ध कोष एवं लेखा विभाग द्वारा इस पद पर कार्यरत लेखाकार को सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति दी जाकर पदस्थापित किया गया है।